विषय सूची

क0सं0	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या
1	प्रतिवेदन	1
2	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति	2-6
3	भारत सरकार के प्रपत्र	7-12
4	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट / वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।	13-14
5	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल	15
6	प्रभावित वृक्षों की सूची एवं वृक्षों की मूल्य सूची	16-17
7	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र	18
8	राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	19
9	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र / डिजिटल एवं गुगल मानचित्र	20-22
10	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं योजना	23-24
11	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र	25
12	परियोजना का बार चार्ट	26
13	रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण–पत्र / आंगणन	27-28
14	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र	लागू नहीं।
15	परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	लागू नहीं।
16	आम सभा का प्रमाण–पत्र।	29
17	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण–पत्र	30
18	वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र	31
19	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र	32
20	भू–वैज्ञानिक की आख्या	33-37
21	भू–वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र	38
22	टास्क फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र	39-40
23	वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने एवं न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र	41
24	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र	42
25	धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र	43
26	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	44
27	दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र	45
28	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं विस्फोटक का प्रयोग करने के संबंध में प्रमाण पत्र	46
29	वन भूमि के लिए एन0पी0वी0 का निर्धारण प्रमाण–पत्र	47
30	एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र	48
31	लागत लाभ विशलेषण प्रमाण–पत्र	लागू नहीं।
32	प्रस्तावित स्थल, स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र	49
33	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की अभियांत्रिकी कार्य योजना / प्रमाण पत्र	50-53
34	मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण–पत्र	54-55
35	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण–पत्र	लागू नहीं।
36	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र	लागू नहीं।
37	जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान	लागू नहीं।
38	प्रस्तावित परियोजना का लेआऊट प्लान एवं मदवार विवरण	लागू नहीं।
39	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण–पत्र	56-60
40	परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें	लागू नहीं।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

41	फैक्ट सीट	61-62
42	उपवन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलनिरीक्षण आख्या	63

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

परियोजना का औचित्य

जिला योजना 2011–12 में जिला अधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 1499/ जिला योजना/ 11–12 दि0 22.10.2011 द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित कांडा जेठाई मोटर मार्ग से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग तक मिलान लम्बाई 4 कि.मी. (प्रथम चरण) के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु रू0 0.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है0। वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार से मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगीं।

तहसील कांडा की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कांडा (धपौली)–जेठाई मोटर मार्ग लम्बाई 10 कि.मी. में प्रभावित होने वाली 6.9837 है0 वन भूमि की भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06 /284 /2005/ एफ्.सी. 632 दि0 11.07.2006 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शा0सं0 जी. आई.–1171/ 7– 1 2006 /600 (1303) /2005 दि0 19.08.2006 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरी तरफ तहसील बागेश्वर की ओर से बागेश्वर–दफौट मोटर मार्ग के विस्तार में प्रभावित होने वाली 8.73 है0 वन भूमि की भारत सरकार के पत्रांक 8 बी /यू.सी.पी./ 06/149 /2005/ एफ्.सी./2074 दि0 20.03.2006 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शा0सं0 जी.आई.1044/ 7– 1 2006 /600 (1155) /2005 दि0 07.03.2006 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वीकृत मोटर मार्ग इन दोनों मार्गों को जोड़ने हेतु स्वीकृत किया गया है जो जेठाई (बंगचूड़ी) नामक स्थान से आरम्भ हो कर बागेश्वर–दफौट मोटर मार्ग के कि0मी0 25 में गुरना के पास पूर्व निर्मित मोटर मार्ग में मिल जायेगा। इस मिसिंग लिंक मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 4 कि.मी. आती है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनु.सार ग्राम जेठाई आवादी (701) बंजचूड़ी (63) क्वैराली (150) सिमलगांव (143) गुरना (488) धारकोना (26) मयूँगूठ (96) किमोली (299) मटियोली (209) एवं भीड़ी (97) कुल 2272 ग्रामीणों की दैनिक आवाजाही निजी एवं सरकारी कार्यों हेतु कांडा एवं बागेश्वर तहसीलों में होती है एवं इस क्षेत्र का मुख्य बाजार भी कांडा एवं बागेश्वर है परन्तु सीधे यातायात के अभाव के कारण इन ग्रामों की जनता को लगभग 50 कि0मी0 से अधिक दूरी तय करके वाहनों को बदल कर बागेश्वर होते हुए आना जाना पड़ता है जिसमें अत्यधिक समय एवं धन व्यय होता हैं। इस मिसिंग लिंक मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय जनता को लगभग 15 कि0मी0 की दूरी तय करके यातायात एवं परिवहन की सुविधा प्राप्त होगी जिससे समय एवं धन की बचत होगी। यह क्षेत्र जनपद के दूरस्थ में स्थित है जहां पर यातायात की कठिनाई के कारण अधिकारी कर्मचारी अपनी सेवायें देने को तैयार नहीं होते। इस मिसिंग लिंक के निर्मित होने से छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को विद्यालयों में आने जाने में सुविधा होगी। इससे क्षेत्र में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होगा एवं स्थानीय युवाओं का पलायन रूकेगा। मार्ग के संरेखण में 1.820 है0 सिविल सोयम भूमि एवं मात्र 34 चीड़ वृक्ष प्रभावित हो रहे है, अतः उपरोक्त कारणों से इस मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 1

परियोजना का नामः—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

(1)

प्रतिवेदन

जिला योजना 2011—12 में जिला अधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 1499 / जिला योजना / 11—12 दि0 22.10.2011 द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित कांडा जेठाई मोटर मार्ग से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग तक मिलान लम्बाई 4 कि.मी. (प्रथम चरण) के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु रू0 0.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। (शासनादेश की प्रमाणित् फोटो प्रति संलग्न है।)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कांडा (धपौली)—जेठाई मोटर मार्ग लम्बाई 10 कि.मी. में प्रभावित होने वाली 6.9837 है0 वन भूमि की भारत सरकार के पत्रांक 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 284 / 2005 / एफ्.सी. 632 दि0 11.07.2006 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शा0सं0 जी.आई.— 1171 / 7— 1 2006 / 600 (13-3) / 2005 दि0 19.08.2006 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरी ओर बागेश्वर—दफौट मोटर मार्ग के विस्तार में प्रभावित होने वाली 8.73 है0 वन भूमि की भारत सरकार के पत्रांक 8 बी / यू.सी.पी. / 06 / 149 / 2005 / एफ्.सी. / 2074 दि0 20.03.2006 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शा0सं0 जी.आई.1044 / 7— 1 2006 / 600 (1155) / 2005 दि0 07.03.2006 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वीकृत मोटर मार्ग इन दोनों मार्गों को जोड़ने हेतु स्वीकृत किया गया है जो क्वैराली नामक स्थान से आरम्भ हो कर बागेश्वर—दफौट मोटर मार्ग में गुरना के पास पूर्व निर्मित मोटर मार्ग में मिल जायेगा। इस मिसिंग लिंक मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 4 कि.मी. आती है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनु.सार ग्राम जेठाई आवादी (701) बंजचूड़ी (63) क्वैराली (150) सिमलगांव (143) गुरना (488) धारकोना (26) मयूँगूठ (96) किमोली (299) मटियोली (209) एवं भीड़ी (97) कुल 2272 ग्रामीणों की दैनिक आवाजाही निजी एवं सरकारी कार्यों हेतु कांडा एवं बागेश्वर तहसीलों में होती है एवं इस क्षेत्र का मुख्य बाजार भी कांडा एवं बागेश्वर है परन्तु सीधे यातायात के अभाव के कारण इन ग्रामों की जनता को लगभग 50 कि0मी0 से अधिक दूरी तय करके वाहनों को बदल कर आना जाना पड़ता है जिसमें अत्यधिक समय एवं धन व्यय होता हैं। इस मिसिंग लिंक मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय जनता को कम दूरी तय करके यातायात की सुविधा प्राप्त होगी जिससे समय एवं धन की बचत होगी। यह क्षेत्र जनपद के दूरस्थ में स्थित है जहां पर यातायात की कठिनाई के कारण अधिकारी कर्मचारी अपनी सेवायें देने को तैयार नहीं होते। इस मिसिंग लिंक के निर्मित होने से छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को विद्यालयों में आने जाने में सुविधा होगी। इससे क्षेत्र में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होगा एवं स्थानीय युवाओं का पलायन रूकेगा। भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई में भूमि अधिगृहण प्रस्तावित किया गया है। प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर चौड़ाई के अन्दर वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों के अनुसार ही की गयी है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग—अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही डिजिटल एवं गुगल मैप में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण कांडा—जेठाई मोटर मार्ग के कि.मी. 10 के अंत में क्वारी से प्रस्तावित किया गया है जो सिमलगांव के नीचे से होते हुए दफौट—गुरना मार्ग के कि.मी. 25 के अंत में मिल जाता है। इसके अनुसार मार्ग में अधिकतर सिविल सोयम एवं नाप भूमि आती है। वृक्ष कम प्रभावित होते है और अधिक आवादी लाभान्वित होती है। मानकों के अनुसार ग्रेड मिलता है एवं ग्रामवासी भी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण उक्त मार्ग के कि0मी0 10 के अंत से ही रखा गया है लेकिन आगे चल कर संरेखण आरक्षित वन भूमि से होते हुए निर्माणाधीन बागेश्वर—दफौट मोटर मार्ग के विस्तार के अन्तर्गत हाईस्कूल गुरना के पास मिलता है जिसमें काफी अधिक आरक्षित वन भूमि एवं वृक्ष प्रभावित होते हैं। मार्ग का संरेखण गांव के बाहर से जाता है जिससे किसी को भी लाभ नहीं होता।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा **संरेखण नं.1** को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 4 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 1.820 हैक्टेयर वन भूमि गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन कर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने एवं विभिन्न प्रजाति के कुल 34 वृक्षों के पातन की स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। भविष्य में इस मिसिंग लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं.3

(2)

कार्यालय ज्ञाप

जिला योजना 2011–12 की वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने विषयक शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0सं0/2008–09 दिनांक 24.03.2008 एंव उप सचिव,लो0नि0वि–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1905/।।(2)/।।–05 (बजट)/2011, दिनांक 18.04.2011 में निहित प्राविधानों के तहत अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के पत्रांक 1501/जि0यो0/2011–12, दिनांक 17.08.2011 द्वारा जिला स्तरीय सड़क सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 17.08.2011 को आयोजित की गई थी। जिसमें समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में मार्गो के नव निर्माण/पुनः निर्माण एंव डामरीकरण तथा पुल–पुलियों के निर्माण हेतु 610.00 लाख के कार्य अनुमोदन किये गये है तद्नुसार अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0,लो0नि0वि0 बागेश्वर में नये मोटर मार्गो के निर्माण एंव डामरीकरण कार्य हेतु 310.32 लाख के कुल 102 कार्यो के लिए प्रारम्भिक आगणन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

जिला नियोजन एंव अनुश्रवण समिति की रिपोर्ट एंव शासनादेश सं0 205/XXVII (1)/2009 दिनांक 25.03.2009 तथा उक्त शासनादेश सं0 1905/।।(2)/।।–05(बजट)/2011 दिनांक 18.04.2011 में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा तकनीकी समिति द्वारा आगणन की जॉच उपरान्त संलग्न सूची मे उल्लिखित कुल 102 कार्यो के लिए उनके आगे अंकित धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है, कि स्वीकृति कार्यो के लिए अलग–अलग विस्तृत आगणन गठित कर एंव उस पर समक्ष अधिकारी के प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कों–आयोजनागत–800– अन्य व्यय–91 जिला योजना–00–24 बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

उपरोक्त जिला योजना में उल्लिखित 102 कार्यो के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 1905/।।(2)/।।–05(बजट)/2011, दिनांक 18.04.2011 में दी गयी अन्य शर्तो का पूर्ण अनुपालन किया जाय एंव कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति नियमानुसार शासन को उपलब्ध करायी जाय।

Sd/-
(दीपक रावत)
जिलाधिकारी बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

को0 प्रा0 लो0 नि0 वि0

पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12 दिनांक 22/10/2011

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. सचिव,लो0नि0विभाग–उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. महालेखाकार(लेखा प्रथम) ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
5. आयुक्त, कुमायूॅ मण्डल, नैनीताल।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. निदेशक, अर्थ एंव संख्या, उत्तराखण्ड–देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता, कुमायूॅ क्षेत्र, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
9. उप निदेशक, अर्थ एंव संख्या कुमायूॅ मण्डल–हल्द्वानी।
10. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
11. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, बागेश्वर।
12. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
13. जिला अर्थ एंव संख्याधिकारी बागेश्वर।
14. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी–बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

85963 22037
9412097606

जिलाधिकारी
बागेश्वर

लागत का विवरण

र्य का नाम :– जनपद बागेश्वर में जिला योजना वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत नये मार्गों / पुलों / डामरीकरण कार्यों का प्रारम्भिक आगणन।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृति धनराशि (लाख ₹ में)
1	2	3
I	विधानसभा–बागेश्वर	
1	रिंग रोड से स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज मण्डलसेरा तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	13.00
2	रिंग रोड से स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज मण्डलसेरा तक लिंक मोटर मार्ग के मुआवजे हेतु	30.00
3	टाकुली शटरिंग हाउस से ताराशंकर पाठक के मकान के पास भागरथी नाले पर 5मी0 आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण।	5.00
4	पोखरी–ग्वालदे मोटर मार्ग में वन्तोली से रणकुरी तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 2 किमी0	0.50
5	गरूड़–कन्यारी मोटर मार्ग से लखनी तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 2 किमी0	0.50
6	गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से द्वौरड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग 2 किमी0 सर्वेक्षण हेतु	0.50
7	नौगॉव ग्वालदे मोटर मार्ग के गरूड़ गंगा में पुल निर्माण 15मी0	10.00
8	काण्डा मोटर मार्ग से मल्ला फल्टनिया होते हुए दफौट मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 2किमी0	0.50
9	परकोटी–पत्थरखानी से ब्रहसेरा होते हुए सिरकोट तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4किमी0	0.50
10	भिलकोट से चरणागूठ मनाखेत इंडिया होते हुए परकोटी मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3किमी0	0.50
11	चरसों जू0हा0 के पास पुलिया निर्माण 5मी0	5.00
12	तिलसारी से बुडगौल गधेरे में पुलिया निर्माण 5मी0	5.00
13	द्यौनाई–चखुटिया मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 में काजवे व स्कपर निर्माण।	1.00
14	द्यौनाई–चखुटिया मोटर मार्ग के किमी0 5 में सड़क को ऊँचा करना व नाली निर्माण।	3.00
15	हरिनगरी–पय्या मोटर मार्ग के किमी0 3 व 4 में मोडों में सुधार व दीवार निर्माण।	8.00
16	दफौट मोटर मार्ग में नई बस्ती में श्रीमती बसन्ती देवी के मकान के पास रास्ता व दीवार।	2.00
17	गरूड़–चनोली मोटर मार्ग से दिगोली व रामपुर तक मोटर मार्ग 2 किमी0 (नापभूमि में)	10.00
18	गनीगॉव से लमचूला ए0एन0एम0 सैन्टर तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी0	0.50
19	गनीगॉव से पाण्डूथल तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी0	0.50
20	कठायतबाड़ा बाईपास से कठायतबाड़ा तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 1 किमी0	0.50
21	गोगिना पानी से कलिया गवड होते हुए मण्डलसेरा बाईपास में मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी0	0.50
22	कुलाऊ–ग्वालदम मोटर मार्ग में ग्वालदम के पास दीवार आदि कार्य।	2.00
23	कपकोट मोटर मार्ग में झटखाली से ग्वाड़ तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी0	0.50
24	कौसानी–जाड़ापानी बगरी मटखाल डोबा तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 6 किमी0	0.94
	योग	103.44
	विधानसभा–काण्डा	
1	बनलेख दोफाड के बीच में पैदल सेतु का निर्माण (केवल एबटमेन्ट निर्माण)	31.00
2	काण्डे थपलिया मोटर मार्ग का निर्माण द्वितीय किस्त।	10.00
3	धिगारतोला देवली मोटर मार्ग का निर्माण द्वितीय किस्त।	8.00
4	एस0सी0पी0 मजवे मार्ग का विस्तार में पहाड कटान हेतु ।	15.00
5	कमेडीदेवी से झाकरा तक लिंक मार्ग(वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी0	0.50
6	दोफाड पर्पो रताईस मोटर मार्ग का विस्तार ओखलधार तक (नापभूमि में)	1.34

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृति लागत (लाख ₹ में)
1	2	3
7	अनगडी मोटर पुल से हरज्यू मन्दिर गापानी तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5किमी0	0.60
8	धिगारतोला देवली मोटर मार्ग के उजेडा से ईडा से भैरु चौपाटा जू0 हाईस्कूल तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी0	1.00
9	दोफाड पर्पो रंतांईस मोटर मार्ग से गापानी विजोरिया, खलदोडी मिलान (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 10 किमी0	2.00
10	काण्डा में गैस्ट हाऊस का निर्माण।	5.00
11	लाल पहाड से दोया पुल की ओर सी0सी0 मार्ग का कार्य।	2.00
12	बालीघाट–धरमघर मोटर मार्ग खन्तोली पुल से गुजगुचा प्रा0 पाठशाला तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी0	0.50
13	नरगोली से तुसरेड़ा मोटर मार्ग	0.50
14	देवीनगर धामपुर से तुसरेड़ा ढांगा तक मोटर मार्ग	0.50
15	नरगोली सिमाखल भण्डारीसेरा सलिया जग्यूड़ाबास(सेराघाट मिलान) (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 7किमी0	0.50
16	बोहाला घटगाड़ लिंक मार्ग किमी0 3 से हन्योली पम्प हाउस तक (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी0	0.50
17	जौलकाण्डे से शीशाखानी मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी0	0.50
18	बोहाला से नन्दीगॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी0	0.50
19	रावतसेरा मोटर मार्ग डौला से देवल विसराल माणा दिगोली तक मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 8 किमी0	0.50
20	सात चौरा जल्थाकोट मोटर मार्ग के किमी0 2 से गंगानाथ धार से सिरोली नारायणदेव मन्दिर तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी0	0.50
21	सिमकुना मोटर मार्ग मछियाकोट भिलगड़ी वाजड़ मिलान (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी0	0.50
22	काण्डा भाकड़पन्त मोटर मार्ग का विस्तार (नापभूमि)	5.50
23	जनपद बागेश्वर में पालड़ीछीना–मल्लीढाना–नैनी–बिनसर–भौगाड़ी–दाणूछीना–भटखोला मोटर मार्ग का विस्तार (सर्वेक्षण एवं वनभूमि)	0.50
24	काण्डा–रावतसेरा मार्ग से रावतसेरा की ओर बने लिंक मार्ग में पुल का निर्माण कार्य।	10.00
25	बागेश्वर–गिरेछीना मोटर मार्ग का विस्तार सातरतवे से सीमी नरगोली होते हुये गिरेछीना मिलान (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 6 किमी0	0.50
26	पौड़ीबैण्ड–चौगॉवछीना मोटर मार्ग के मुखानीधार से खर्कटम्टा तक (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी0	0.50
27	बिलौना–पगना प्रधानमंत्री सड़क योजना से सप्तेश्वर तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी0 +सेतु	0.50
28	काण्डा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना–बागेश्वर–दफौट मोटर मार्ग पर मिलान (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी0	0.50
29	काण्डा–मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी0	0.50
	योग :–	103.44
3	विधानसभा–कपकोट	
1	बागेश्वर कपकोट मार्ग में 11 से 20 तक सुधारीकरण का कार्य	28.00
2	पोथिग भगवती मन्दिर मोटर मार्ग के द्वितीय चरण हेतु	6.00
3	कपकोट दुनी मोटर मार्ग का विस्तार 5 किमी0 द्वितीय चरण हेतु।	2.00
4	किडईधार से होराली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.00
5	लीती लिंक मोटर मार्ग का विस्तार द्वितीय चरण हेतु।	2.00
6	कमेडीदेवी स्याकोट मो0मा0 के किमी0 4से तल्ला भन्तोला तक मोटर मार्ग के द्वितीय चरण हेतु।	6.00

(6)

कार्य का नाम	स्वीकृति लागत (लाख ₹ में)
2	3
वी से चौनाला हनुमान मन्दिर तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 5 किमी0	0.20
रे मोटर मार्ग का विस्तार खड़कुकाना तोली तक (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 4 किमी0	0.50
--शामा मोटर मार्ग के प्रा0पा0 झोपड़ा से खवेधार तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 3 किमी0	0.50
झेडा जारती प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जारती से तोली मूलनारायण मंदिर तक मोटर मार्ग (वनभूमि न्तरण हेतु) 3 किमी0	0.50
--धरमघर मोटर मार्ग के जलमानी से हॉस्पिटल तक 500मी0 (नापभूमि में)	1.00
--कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुड़तुडिया के पास ओलिंग होते हुये भैरू औखलधार तक मोटर नभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 6 किमी0	0.50
सकुना मोटर मार्ग से बैडा मिलान मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 4 किमी0	0.50
योग :--	103.44
महायोग :--	310.32

AAE

सहायक अभियन्ता प्रथम
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

प्रपत्र-2

7

परिशिष्ठ

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क.सं.	परियोजना विवरण :–	
1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	**जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान लम्बाई 4.00 कि0मी0।**
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रू0 0.50 लाख (वनभूमि स्वीकृति हेतु)। वन भूमि स्वीकृति उपरान्त शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	अन्य वैकल्पिक संरेखण न होने के कारण मार्ग को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। विस्तृत विवरण प्रतिवेदन में दिया गया है।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	प्रस्ताव 5 हैक्टेयर से कम का है अतः लागू नहीं होता है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	मार्ग निर्माण के दौरान लगभग 80 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन होने से मार्ग निर्माण के बाद परिवहन सुविधा होने पर उत्पादन में बृद्धि होगी एवं जनता के आर्थिक स्तर में सुधार के साथ–साथ युवाओं का पलायन रूकेगा।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः	सिविल सोयम भूमि – 1.820 है0 **कुल वन भूमि – 1.820 है0** नाप भूमि – 0.980 है0 **कुल भूमि – 2.800 हैक्टेयर** (कच्चा मोटर मार्ग निर्माण हेतु)
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हों, क) परिवारों की संख्या	आवश्यकता नहीं है। – शून्य –
	ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	– शून्य –
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही)	मोटर मार्ग कच्चा निर्मित होना है। अतः पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

(8)

5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	सामान्य नियमों के अन्तर्गत दुगुने सिविल सोयम भूमि में वनीकरण हेतु 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राविधान करते हुए क्षतिपूरक वनीकरण आंगणन वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्ताव में लगाया गया है। वृक्षारोपण व्यय, एन.पी.वी. मलवा निस्तारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पौधारोपण में आने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा बहन करने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रस्ताव में यथा स्थान संलग्न हैं।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा।	अनुकमणिका सूची के अनुसार सभी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं एवं हस्ताक्षरित है।

दिनांक ~~अक्टूबर~~ Nov 22, 2013
स्थान :– बागेश्वर

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

(महेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 2.1

प्रस्ताव की कम संख्या..

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा

भाग–।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.........

क.सं.	विवरण	
7	परियोजना / स्कीम का स्थान	**जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान लम्बाई 4.00 कि0मी0।**
i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखंड
ii)	जिला	बागेश्वर
iii)	वन प्रभाग	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	**1.820 हैक्टेयर**
v)	वन की कानूनी स्थिति	सिविल सोयम भूमि
vi)	हरियाली का घनत्व	**0.2 / Eco-classes -V**
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. – 8 मी. पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।	सूची पृ0सं0 16 पर संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण की सम्भावना नही है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	~~संलग्न है~~, एक कि0मी0
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	पृ0सं0 ... पर प्रमाणपत्र संलग्न है।
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नही
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नही
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रमाणपत्र पृ0सं0 52 पर संलग्न है। — " —
9	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्यकिया गया है (हॉ / नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	वन अधिनियम का उल्लंघन नही किया गया है।

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–	
i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	संलग्न है।
ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	—"— पृ०सं० ~~[illegible]~~ 24 पर।
iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	—"— पृ०सं० 23 पर।
iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रु० 520658.00 मात्र
v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	संलग्न है। पृ०सं० 25 पर।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	—"— पृ०सं० 63 पर।
12	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	
i)	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	2310 वर्ग की०मीटर
ii)	जिला का वन क्षेत्र।	1074 —"—
iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	355 मामले। 453.2083 है०
iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	1315.278 है०
क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	—
ख)	वनेत्तर भूमि पर .... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	—
क)	वन भूमि पर	1081.006 है०
ख)	वनेत्तर भूमि पर	234.272 है०
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	स्वीकृति की जाती है।

दिनांक 20-3-2014
स्थान बागेश्वर

हस्ताक्षर [signature] (डी० के० [illegible])
प्रभागीय वनाधिकारी
नाम सरकारी बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 22

भाग– III
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

14–	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों की निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	अपेक्षित नहीं
15–	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	सहमत।
16–	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिश।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती हैं। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0–10 एवं 10–20 सेमी0 व्यास वर्ग के पौधों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्र में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित पौधों की सुरक्षा हेतु माकूल व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

तिथि – 29/3/2014

स्थान – अल्मोड़ा

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रपत्र सं. 4

(13)

परियोजना का नामः–जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 26.11.2012 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बी0डी0 जोशी, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री पूरन गिरी गोस्वामी, राजस्व उप निरीक्षक एवं श्री प्रताप राम, राजस्व उप निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री किशोर कुमार, अपर सहायक अभियंता द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 है0, सिविल सोयम भूमि 1.820 है0, वन पंचायत भूमि 0.00.है0 कुल 1.820 है0 वन भूमि एवं 0.980 है0 नाप भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। आवेदित वन भूमि में 7 मीटर चौडाई के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार कुल 34 वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची एवं आउटटर्न संलग्न है।

आवेदित वन एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricaltural Tribal Groups) निवास नहीं करते हैं और परियोजना के निर्माण से इन वर्गों के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

(किशोर कुमार)
अपर सहायक अभियंता
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

(पूरनगिरी गोस्वामी)
राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व विभाग प्रतिनिधि

वनक्षेत्र अधिकारी
धरमघर
वन विभाग प्रतिनिधि

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रतिहस्ताक्षर

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रति हस्ताक्षरित

तहसीलदार
बागेश्वर

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

Form-I
(for linear Project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No---Memo-6/ 2014 *Dated-19-12-2014*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest Purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.820 hactares** of forest and proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Kanda-Jethai motor road to Gurna Bageshwar-Dafot motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of Simalgaon Village in **Bageshwar** Tehsil.
It is further certified that:-

- **(a)** the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.820 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.3 (**Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.)**
- **(b)** the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it;------ (**Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.)**
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclose – as above

Signature

Dated 19.12.2014

(Bhupal Singh Manral,)
District Collector
जिला अधिकारी
बागेश्वर.
Seal
(Full name and official seal of the District Collector)

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः–जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा –जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिमलगांव
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.820 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.820 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिमलगांव द्वारा दिनांक 15/1/10 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसंम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिमलगांव एवं क्वैराली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/ ह0/
ग्राम सचिव ग्राम प्रधान

ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र- ...
विकास खण्ड- ...

दीपा देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सिमलगांव
पो0 गुरना कफसयार जिला बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 5.12.14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिमलगांव

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गणेशसिंह S/O चंचलसिंह क्वैरानी	Rautela
2	नारायणसिंह " - नैनसिंह "	[illegible]
3-	धर्म सिंह " - उमेदसिंह "	[illegible]
4-	दिवानसिंह " - रवीमसिंह "	[illegible]
5-	शीशसिंह " - महेन्द्रसिंह "	[illegible]
6	कुशमा देवी W/O स्व. मोहनसिंह "	कुशमा देवी
7-	केदार सिंह " - स्व. गोपालसिंह "	[illegible]
8-	ठाकुर सिंह " - पूरनसिंह "	Thakur
9-	योगेश सिंह " - मोहनसिंह "	Yogesh Singh.
9-	किशनसिंह " - स्व. कुंवरसिंह "	किशनसिंह
10	चंदनसिंह " - स्व. मदनसिंह सि.	[illegible]
11	सुन्दरसिंह " - स्व. दयालसिंह "	[illegible]
12	आनसिंह " " - नरसिंह "	आनसिंह
13	मोहनसिंह " " - दिवान सिंह "	[illegible]
14	नन्दनसिंह " - " - विजे सिंह "	[illegible]
15	महेशसिंह " - " - चन्द्रसिंह	[illegible]
17		

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र- [illegible]
विकास खण्ड- [illegible]

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सिमलगांव
पो0 गुरना,कमस्यार जिला [illegible]

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा –जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वनभूमि, 1.820 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 0.00 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 1.820 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील बागेश्वर की दिनांक ......19.12.2014...को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक श्री फिंचा राम चौहान, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री फिंचा राम चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	श्री खड़क सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4–	जानकी पनकोटी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.820 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.820 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रपत्र–23.3

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 19-12-14 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक 19.12.2014 द्वारा कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान के लिए 1.820 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान के लिए 1.820 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान के लिए 1.820 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर जिलाधिकारी बागेश्वर

प्रपत्र - 23.3

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा –जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.820 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 19.12.2014

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

जिलाधिकारी बागेश्वर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने है। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा –जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.820 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

दिनांक 19.12.2014

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

जिला अधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र सं॰ 5 (62)

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A Proposal has been received by this office from...अधिशासी अभियन्ता ...प्रा॰ खण्ड लो॰नि॰ वि॰ बागेश्वर...Uttarakhand for diversion under FCA-1980 of ..1.820..ha. of forest land non foresty purpose. The project envisages the use of forest land for construction of. P.M.G.S.Y. योजना में गुरना-दफौट मोटर मार्ग निर्माण...:The site inspection of the land ivolved in the proposal has been done by me on dated...3-3-2014

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/ PF/ Un- classed/ Protected forest measuring.1.820 ha.

The reuirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 part I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/ endangered/ uique species of flora and funa found in the area. if, so the details there of. No

Whether any protected archeological/ heritage site / defence establishment or any other important monuments is located in the area. if so, the details there of with NOC from competent authority, if required. No

✓ (a) The user agency has not violated the provisions of forest Conservation act 1980 and no work has been started without proper sanction. No

✗ (b) It has been found that the user agency has violated the forest conservation act 1980 provisios. A detail report as per para 1.9 of chapter 1. Para C of Hand book of forest Conservation Act 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance of other wise of the próposal.

स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

Place बागेश्वर
Date 20-3-2014

Signature (ह॰) (उपारताण)
Name........ प्रभागीय वनाधिकारी
Designation........ बागेश्वर वन प्रभाग
Office Seal, बागेश्वर

N.B. x State the purpose of which the forest land is proposed to be diverted,
x Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2-2000 FC dated 16.10.2000 from Ministry of Environment and Forest, Government of India of Proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection from the conservator of forest is required.

प्रपत्र सं. 8

31

परियोजना का नामः—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण—पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु ....2....(दो)..........संरेखणों पर विचार किया गया।

संरेखण संख्या....2... अधिक बैंड आने, संरेखण भूस्खलन वाले भाग में होने, अधिक आरक्षित वन भूमि एवं वृक्षों की सम्भावित क्षति, तकनिकी रूप से सही ग्रेड न मिलने. एवं ग्रामवासियों की आपत्ति के कारण निरस्त किया गया। **संरेखण संख्या 1** को तकनिकी रूप से सही ग्रेड मिलने, कम दूरी में अधिक आवादी लाभान्वित होने, कम वन भूमि व वृक्ष आने तथा इस संरेखण में मार्ग निर्माण हेतु ग्रामवासियों की सहमति .के कारण उचित पाया गया, जो कि प्रस्तावित है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

प्रपत्र ख-11

(15)

परियोजना का नामः—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

लैन्ड शैड्यूल

सिविल एवं सोयम / वन पंचायत भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग) / जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक / गांव	खसरा संख्या	कुल रकवा		याचित क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
				नाली	मुट्ठी	
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	1342	03	05	0.066
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	1343	01	09	0.031
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	1351	04	03	0.084
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	1352	02	13	0.056
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	2069	01	11	0.034
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	2060	02	10	0.053
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	2019	05	05	0.106
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	2020	04	12	0.094
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	2055	06	11	0.134
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	2056	03	05	0.066
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	2072	03	07	0.069
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	2073	01	01	0.021
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	1819	01	05	0.026
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	1821	01	14	0.038
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	1823	02	05	0.046
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	1826	02	14	0.058
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	2373	02	05	0.046
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	2380	04	14	0.098
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	2381	05	06	0.108
बागेश्वर	बागेश्वर	क्वैराली श्रेणी 9—(3) ग गौचर	2382	04	11	0.094
बागेश्वर	बागेश्वर	सिमलगांव श्रेणी 9—(3) ड ब.का.आ.	1321	02	09	0.051
बागेश्वर	बागेश्वर	सिमलगांव श्रेणी 9—(3) ड ब.का.आ.	1292	01	12	0.034
बागेश्वर	बागेश्वर	सिमलगांव श्रेणी 9—(3) ड ब.का.आ.	1296	03	02	0.062
बागेश्वर	बागेश्वर	सिमलगांव श्रेणी 9—(3) ड ब.का.आ.	1298	02	14	0.058
बागेश्वर	बागेश्वर	सिमलगांव श्रेणी 9—(3) ड ब.का.आ.	1318	03	05	0.066
बागेश्वर	बागेश्वर	सिमलगांव श्रेणी 9—(3) ड ब.का.आ.	1319	01	02	0.023
बागेश्वर	बागेश्वर	सिमलगांव श्रेणी 9—(3) ड ब.का.आ.	1326	01	09	0.031
बागेश्वर	बागेश्वर	सिमलगांव श्रेणी 9—(3) ड ब.का.आ.	1323	02	00	0.040
बागेश्वर	बागेश्वर	सिमलगांव श्रेणी 9—(3) ड ब.का.आ.	1316	01	10	0.033
बागेश्वर	बागेश्वर	सिमलगांव श्रेणी 9—(3) ड ब.का.आ.	1314	01	05	0.026
बागेश्वर	बागेश्वर	सिमलगांव श्रेणी 9—(3) ड ब.का.आ.	1291	01	09	0.031
बागेश्वर	बागेश्वर	सिमलगांव श्रेणी 9—(3) ड ब.का.आ.	1290	01	13	0.036
		सिविल सोयम भूमि का योग	32 नं0	91	00	1.820

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

जिला अधिकारी
जिलाधिकारी
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर 8/6/2013

प्रभागीय बनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

राजस्व उपनिरीक्षक
उत्ता

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

तहसीलदार

उप वनाधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

प्रपत्र–12

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मार्ग से गुरना बागेश्वरन्–दफौट मोटर मार्ग में मिलान।

परियोजना की लम्बाई– चौड़ाई का विवरण।

क0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल है0 में।
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	सिविल सोयम भूमि	2600	07	1.820
3	वन पंचायत भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
	वन भूमि का योग	**2600**	**07**	**1.820**
4	नाप भूमि	1400	07	0.980
	कुल योग	**4000**	**07**	**2.800**

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

परियोजना का नामः–जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

वारचार्ट

पैमाना लम्बाई 1 से0मी0 = 500 मीटर चौड़ाई 07 मीटर

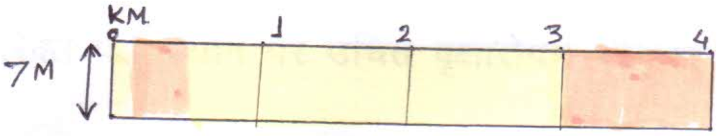

चेनेज

0.000 – 0.075	क्वैराली सिविल सोयम भूमि	=	75 मी = 0.0525 हे०
0.075 – 0.475	क्वैराली नाप भूमि	=	400 मी = 0.2800 हे०
0.475 – 2.297	क्वैराली सिविल सोयम भूमि	=	1822 मी = 1.2754 हे०
2.297 – 3.000	सिमलगांव सिविल सोयम भूमि	=	703 मी = 0.4921 हे०
3.000 – 4.000	सिमलगांव नाप भूमि	=	1000 मी = 0.7000 हे०
	कुल योग	=	4000 मी = 2.800 = 2.80 हे०

संकेत

सिविल सोयम भूमि 2600 m x7 m= 1.820 H	
नाप भूमि 1400 m x7 m= 0.980 H	

जिला अधिकारी
बागेश्वर

तहसीलदार
बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

राजस्व उपनिरीक्षक

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र सं 16

(32)

परियोजना का नामः—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 15

16

कार्यालय उप वन संरक्षक, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

संख्या– / दिनांकः , 2013

वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान लम्बाई 4.00 कि.मी. के निर्माण के लिए 1.820 वन भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 7 मीटर चौड़ाई में पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

कसं	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									
			0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	60 से अधिक	योग
1	क्वैराली सिविल सोयम भूमि	चीड़ हरा	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
2	सिमलगांव सिविल सोयम भूमि	चीड़ हरा	1	1	7	13	2	6	2	–	–	32
	कुल वृक्षों का योग		**1**	**3**	**7**	**13**	**2**	**6**	**2**	–	–	**34**

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है। परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची संलग्न है।

वन क्षेत्र अधिकारी
धरमघर रेंज
बागेश्वर वन प्रभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र सं 15

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा (घपोली) जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना दफौट बागेश्वर मिलान मिसिंग लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4 कि.मी. के निर्माण में प्रभावित होने वाले

(17)

क.सं.	नाम ग्राम	प्रजाति	व्यास		वृक्षों की संख्या	आयतन	योग आयतन	दर	धनराशि
1	राज्यै भूमि क्वैराली	चीड़ हरा	10-20		2	0.000	0.000	20.00	40.00
2	राज्यै भूमि सिमलगांव	चीड़ हरा	0-10		1	0.000	0.000	20.00	20.00
	–तैदैव–	चीड़ हरा	10-20		1	0.000	0.000	20.00	20.00
	–तैदैव–	चीड़ हरा	20-30		7	0.184	1.288	471.00	3297.00
	–तैदैव–	चीड़ हरा	30-40		13	0.694	9.022	1873.00	24349.00
	–तैदैव–	चीड़ हरा	40-50		2	1.565	3.130	4325.00	8650.00
	–तैदैव–	चीड़ हरा	50-60		6	2.663	15.978	7573.00	45438.00
	–तैदैव–	चीड़ हरा	60-70		2	4.328	8.656	12328.00	24656.00
	कुल योग				**34**		**38.074**		**106470.00**

वनक्षेत्र अधिकारी
धरमघर

वन क्षेत्राधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 16 (18)

परियोजना का नामः—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण—पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा—जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान लम्बाई 4.00 कि.मी. के निर्माण के लिए हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित 1.820 है0 वन भूमि में बांज वृक्ष प्रभावित नहीं होते है।

वन क्षेत्र अधिकारी धरमघर	उपप्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 18, 19

(19)

परियोजना का नामः–जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान लम्बाई 4.00 कि.मी. के निर्माण के लिए हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित 1.820 है0 वन भूमि राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य अथवा हाथी कोरिडोर का हिस्सा नही है। प्रस्तावित सड़क से वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी लगभग 59 कि0मी0 है।

वन क्षेत्र अधिकारी
धरमघर

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र सं॰ 21

(29)

परियोजना का नामः—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई मोटर मार्ग का गुरना बागेश्वर मोटर मार्ग तक मिलान।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण—पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा—जेठाई मोटर मार्ग का गुरना बागेश्वर मोटर मार्ग तक मिलान लम्बाई लगभग 4.00 कि0मी0 के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा निर्धारित संरेखण के सम्बन्ध में ग्राम सभा की आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधान, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से तय किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं उक्त भूमि को लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई सही विकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

स्थानः— पिंगलकोट

दिनांकः—26-11-012

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान / सरपंच

प्रधान
ग्राम पंचायत पिंगलकोट
वि॰ खं॰ गरुड़ जनपद-बागेश्वर

कोटे पी॰ बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर 8-1-013

प्रपत्र सं. 26

(33)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0
लोक निर्माण विभाग ,अल्मोड़ा

पत्रॉक— 100 / ए—5 / कुँ0क्षे0 / 2011 दिनॉक— 15.11.2011

सेवा में ,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,
बागेश्वर।

विषयः— जनपद बागेश्वर में धपोली—जेठाई—गुरना मोटर मार्ग के 4 किमी0 सड़क समरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

जनपद बागेश्वर में धपोली—जेठाई—गुरना मोटर मार्ग के किमी0 4 मोटर मार्ग की सड़क समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या। जी—113 / सड़क संरेखन / कुमायूँ / 2011 की एक प्रति सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार

15.11.2011

(मणि कर्णिका मिश्र)
भूवैज्ञानिक
कार्या. मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0
लोक निर्माण विभाग , अल्मोड़ा

पत्रॉक 100 / ए—5 / कुँ0क्षे0 / 11, तद्‌दिनॉकित
प्रतिलिपिः—

1— अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त,लोक निर्माण विभाग,अल्मोड़ा को उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित ।
2— वरिष्ठ भू वैज्ञानिक कार्यालय, मुख्य अभियन्ता स्तर—1, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित्।
3— भूवैज्ञानिक(कु0क्षे0),लोक निर्माण विभाग,अल्मोड़ा को उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

भूवैज्ञानिक
कार्या. मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0
लोक निर्माण विभाग , अल्मोड़ा

जनपद बागेश्वर में धपोली–जेठाई–गुरना मोटर मार्ग के किमी0 4 की सड़क समरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1:–प्रस्तावनाः–

जनपद बागेश्वर में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर द्वारा जनपद बागेश्वर में धपोली–जेठाई–गुरना तक 4.00 किमी0 भाग का बनाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण दि0 15.11.2011 को श्री के0 के0 तिलारा, सहायक अभियन्ता, एवं श्री किशोर कुमार अपर सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण स्थल संरचना व बनावट भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियो के अध्ययन हेतु किया गया ताकि इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिया जा सके। चित्र (1 –2)

2– स्थितिः–

1– जनपद बागेश्वर में यह सड़क समरेखन धपोली–जेठाई मोटर मार्ग किमी0 10 से प्रारम्भ होता है। (चित्र–1)

2– भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार गुरना 29°47′ 41.74″ अक्षांक्ष तथा 79°51′ 37.60″ E देशान्तर पर स्थित है। (चित्र–2)

3– भूगर्भीय स्थितिः–

यह सड़क समरेखन कुमायूँ लेसर हिमालय के बेरीनाग के शिश्ट–क्वार्टजाइट फार्मेशन के अन्तर्गत फैला हुआ है। स्थल क्षेत्र में शिश्ट–क्वार्टजाइट–शिश्ट चट्टानें स्पष्ट दृष्टिगोचर है। ये चट्टाने, महीन एवं मोटे पर्तवाली तीन प्रकार के ज्वाइंट से पूर्ण दक्षिण–पूर्व दिशा के साथ विद्यमान है। चट्टानों के ऊपर डेव्रिस तथा मिट्टी की परतें भी विद्यमान हैं।

चट्टानों में किया गया अध्ययन निम्नवत है–

1–	130–310	/दक्षिण पि चम	/65°	नति
2–	130–310	/ दक्षिण पि चम	/67°	नति
3–	130–310	/ दक्षिण पि चम	/69°	नति
4–	50–230	/पश्चिमोत्तर	/65°	ज्वाइंट
5–	50–230	/पश्चिमोत्तर	/67°	ज्वाइंट
6–	50–230	/पश्चिमोत्तर	/69°	ज्वाइंट
7–	130–310	/पूर्वोत्तर	/54°	ज्वाइंट
8–	130–310	/पूर्वोत्तर	/57°	ज्वाइंट
9–	130–310	/पूर्वोत्तर	/59°	ज्वाइंट

इस सम्पूर्ण समरेखन में भूगर्भीय टेक्टोनिक कम निम्नवत है।

मिट्टी की परत
डेव्रिस
शिश्ट
शिश्ट
क्वार्टजाइट
क्वार्टजाइट

4– स्थल वर्णन:–

यह समरेखण जनपद बागेश्वर में प्राधनमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धपोली–जेठाई मोटर मार्ग के किमी0 10 से प्रारम्भ होकर गुरना ग्राम के बीच 4 किमी0 लम्बाई में फैला हुआ है। यह समरेखन उक्त मोटर मार्ग के किमी0 10 से प्रारम्भ होकर दक्षिण पूर्व दिशा को दक्षिण पश्चिम दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ किमी0 4 के अन्त तक जाता है। इस समरेखण में कई सूखे नाले विद्यमान हैं। मिटटी के नीचें चटटानें विद्यमान है। इस सम्पूर्ण समरेखण में पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में है। इस समरेखण के किमी0 1 में क्वैराली ग्राम, किमी0 2, 3 में सिमायल गॉव किमी. 4 में गुरना ग्राम विद्यमान है।

5– स्थायित्व का विचार:–

इस समरेखण की स्थल संरचना व बनावट भूगर्भीय, भूजलीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1– यह सड़क समरेखण पर्वतीय क्षेत्र में है।

2– यह सड़क समरेखण भूकम्पीय क्षेत्र में है।

3– पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।

4– इस सड़क समरेखण में पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में हैं।

5– यह समरेखण नाप एवं बेनाप से गुजरता है।

6– यह सड़क समरेखण में एक ग्राम विद्यमान हैं।

7– इस समरेखण में कोई भूस्खलन क्षेत्र नहीं है।

8– इस समरेखण में कई सूखे नाले हैं।

9– इस समरेखण में भागीरथी परिनियल नाला विद्यमान हैं।

6– सुझाव:–

इस सड़क समरेखण की स्थल की संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, स्थायित्व का विचार, भूगर्भीय, भूजलीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दियें जाते हैं।

1– पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।

2– मोटर मार्ग के निर्माण करते समय सूखे नालों पर स्कपर/डबल स्कपर/कल्वर्ट/काजवे का निर्माण किया जाय।

3– मिट्टी/डेब्रिस/ग्राम वाले भाग में पहाड़ी कटान के बाद आवश्यकतानुसार ब्रैस्ट वाल का निर्माण किया जाय।

4– ग्रामों वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।

5– मिट्टी वाले/डेब्रिस वाले मार्ग के वाहय भाग को ऊँचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी मार्ग को पार कर न बहे जिससे मोटर मार्ग यथावत बना रहे।

6– पर्यावरण को स्वच्छ एवं शुद्ध रखने हेतु मिट्टी वाले भाग में वृक्षारोपण किया जाय।

7– पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही मार्ग का निर्माण किया जाय।

37

8– पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गों के निर्माण हेतु किये जाने वालें उपायों को ध्यान में रखकर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाय।

9– भूकम्पीय मानक के अनुरूप उपाय किए जाय।

10– अन्य आवश्यक उपाय जो मार्ग निर्माण में आवश्यक हों किए जाय।

7– निष्कर्षः–

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रख कर इस क्षेत्र में मोटर मार्ग निर्माण करना उचित एवं उपयुक्त प्रतीत होता है।

15.11.2011

(मणि कर्णिका मिश्र)
भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

परियोजना का नामः–जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तो के अनुसार सुरक्षात्मक कार्यो हेतु आवश्यक धनराशि का प्राविधान विस्तृत आंगणन में किया जायेगा एवं निर्माण कार्य के दौरान भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तो का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 28

39

परियोजना का नामः–जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्राम्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 17.1, 31, 32

(41)

परियोजना का नामः—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने एवं कम से कम वृक्षों के पातन का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख—रखाव के दौरान. लोक निर्माण विभाग (निर्माण ऐजेन्सी) द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा। मोटर मार्ग निर्माण के दौरान श्रमिकों को ईधन (रसोई गैस, किरोसीन आदि) की आपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार अथवा विभाग द्वारा की जायेगी ताकि वनों को कोई क्षति न हो।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि स्वीकृति उपरान्त मोटर मार्ग निर्माण के दौरान अत्यावश्यक एवं कम से कम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा एवं जो वृक्ष प्रस्तावित किये गये हैं उनके अलावा अन्य वृक्षों का पातन नहीं कराया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

प्रपत्र सं.10 (42)

परियोजना का नामः–जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 1820 है0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है। इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

तहसीलदार
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

परियोजना का नामः–जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

उप वनाधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 33

(44)

परियोजना का नामः–जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	जनसंख्या
1– जुठाई	701
2– बंग्रचूड़ी	63
3– क्वैराली	150
4– सिमलगांव	143
5– गुरना	488
6– मयूँ गूँठ	96
7– धारकूना	26
8– किमोली	299
9– भीड़ी	97
10– मटियोली	209
कुल योग	2272

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

प्रपत्र सं॰ 35

(23)

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा (धपौली) जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना दफौट बागेश्वर मिलान मिसिंग लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि.मी. के निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.820 हैक्टेयर के दुगुने अर्थात् 3.640 है0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना।

1 परियोजना का नाम– जेठाई से गुरना दफौट बागेश्वर मिलान मिसिंग लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4 कि0मी0
2 पौधारोपण स्थल का नाम– **ग्राम** गुरना सिविल सोयम भूमि – क्षेत्रफल 3.640 है0
3 रोपित किये जाने वाले पोधों की संख्या **7280 पौध।**
4 रोपित की जाने वाली प्रजाति – हरड़, आंवला, बहेड़, बांज, फल्यांट, क्वैराल, भीमल, रीठा आदि।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई / संख्या	दर प्रति	धनराशि
1	2	3	8	9
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं एवं सीमांकन	3.64	42.50	154.70
2	स्थल सफाई एवं झाड़ी कटान।	3.64	255.00	928.20
3	कुली दीवाल निर्माण प्रति है0 84 ध0मी0 औसत	306	137.00	41922.00
4	गड्ढा खुदान (0.30 x 0.30x 0.45)	7280	3.20	23296.00
5	निरीक्षण बटिया	3.64	212.00	771.68
6	पौधों का मूल्य	7280	2.60	18928.00
7	औजार तेज कराई		LS	500.00
	प्रथम वर्ष का योग			**86500.58**
1	गड्ढा भरान (0.30 x 0.30x 0.45)	7280	0.50	3640.00
2	पौध ढुलान कार्य वाहन व सिरबोझ से 28 कि0मी0	7280	2.93	21330.40
3	पौधारोपण व थावलबंदी	7280	0.90	6552.00
4	रोपण के बाद द्वितीय एवं तृतीय माह में निराई गुड़ाई कार्य	7280	0.66	4804.80
5	पौधों की देख रेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 9 माह ।	3.64	4440.00	39960.00
6	पौधारोपण क्षेत्र के अन्दर जलनशील घास हटाना।	3.64	137.00	498.68
7	घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की चौड़ाई में सफाई कर जलाना।	3.64	96.00	349.44
8	ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु प्रशिक्षण।	3.64	LS	1000.00
9	साईन बोर्ड 4 x 3 फोटोग्राफी एवं वर्षा से बचाव हेतु पौलेथीन कय	3.64	LS	2000.00
	द्वितीय वर्ष का योग			**80135.32**
1	पौधारोपण क्षेत्र के अन्दर ज्वलनशील घास हटाना।	3.64	137.00	498.68
2	सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 चौड़ी सुरक्षा पट्टी साफ कर जलाना।	3.64	96.00	349.44
3	प्रशिक्षण व प्रोत्साहन	3.64	LS	1000.00
4	देखरेख व रखरखाव रोपण के द्वितीय वर्ष में 12 माह।	12	4440.00	53280.00
	तृतीय वर्ष का योग			**55128.12**
	देखरेख व रखरखाव रोपण के तृतीय वर्ष में 12 माह।	12	4440.00	53280.00
	चतुर्थ वर्ष का योग			**16247.00**
	देखरेख व रखरखाव रोपण के चतुर्थ वर्ष में 12 माह।	12	4440.00	53280.00
	पंचम वर्ष का योग			**16247.00**
	छटे वर्ष से 10 वें वर्ष तक देखरेख एवं रखरखाव 60 माह	60	4440.00	266400.00
	कुल योग			**520658.02**
			Say	**520658.00**

(रूपये पांच लाख बीस हजार छः सौ अट्ठावन मात्र)

क्षेत्राधिकारी धरमघर क्षेत्र बागेश्वर

उपप्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

26

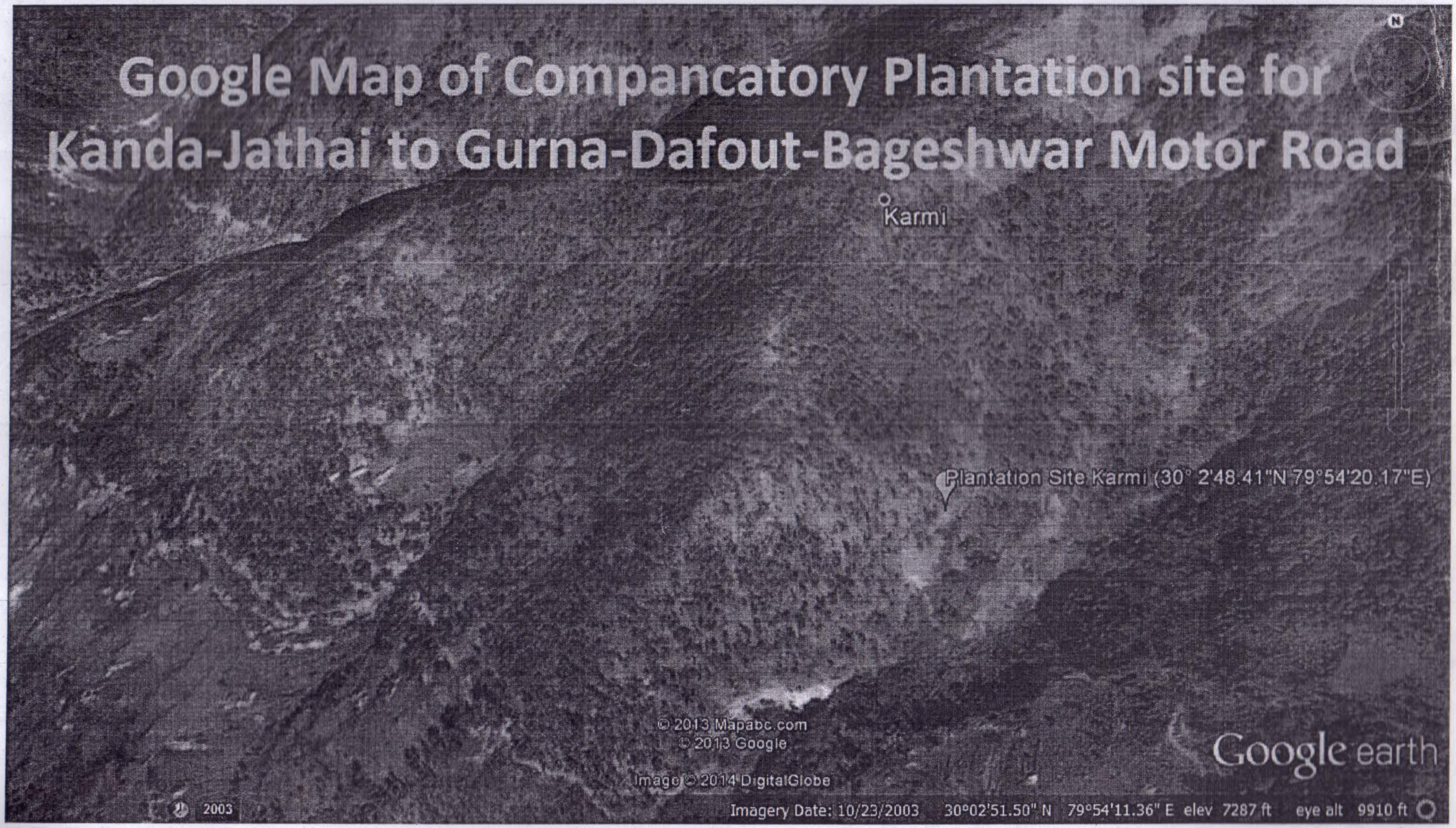

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

पृष्ठ - 35

प्रपत्र सं 36

25

परियोजना का नामः—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान लम्बाई 4.00 कि.मी. के निर्माण के लिए 1.820 है0 वन भूमि के दुगुने क्षेत्र 2.640 हैक्टेयर में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र सिविल सोयम भूमि ग्राम कर्मी ......रैंज धरमघर वन क्षेत्र, वन प्रभाग, बागेश्वर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन क्षेत्र अधिकारी धरमघर रेंज बागेश्वर वन प्रभाग	उपप्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

परियोजना का नामः—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। वन विभाग से प्राप्त आंगणन संलग्न है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

परियोजना का नामः–जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का आंगणन

क.सं	कार्य का नाम	मार्ग की लम्बाई	दर (लाख में)	प्रति	ईकाई	कुल लागत (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	**पथ वृक्षारोपण** प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड, देहरादून के पत्रांक 89 / 3–5–2 दिमांक 06.06.2012 द्वारा प्रति कि.मी. 100 पौध रोपण के मानक के अनुसार।	4.00	2.00	प्रति	कि.मी.	8.00

वनक्षेत्र अधिकारी
धरमघर

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

परियोजना का नामः—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (NPV) का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 1.820 है0 वन भूमि प्रभावित होती है। मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाला वन क्षेत्र इकोक्लासेस– (Eco-classes -V) के अन्तर्गत आता है एवं वानस्पतिक घनत्व 0.2 प्र.श. है। अतः प्रभावित होने वाली वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (N.P.V.) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.08 एवं आदेश दिनांक 09. 05.08 में निर्धारित प्रकिया तथा नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1456 / 1–42 दिनांक 15.12. 2008 में दिये गये निर्देशानुसार रू0 8.45 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से रू0 15,37,900.00 होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट 00.00 प्रतिशत की दर से 00.00 रू0 होता है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 43

(48)

परियोजना का नामः—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के एवज में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.08 एवं आदेश्र दिनांक 09.05.08 में निर्धारित प्रकिया तथा नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1456 / 1—42 दिनांक 15.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार देय एन.पी.वी. की धनराशि उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग .द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन.पी.वी. की दरों में बृद्धि की जाती है तो उसका भी भुगतान उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग को उनकी मांग पर कर दिया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

प्रपत्र-41

50

KANDA-JATHAI TO GURHA M/R

MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नामः— जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा—जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर—दफौट मोटर मार्ग पर मिलान। (51)

भारत सरकार के पत्रांक 11/ मिस0/ 618/ 2010/ उ0प्र0, राज0, उत्तराखंड/ 11/ 58 दिनांक 16. 04.2038 साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार मलवा निस्तारण योजना।

Summary of MUCK DISPOSAL PLAN

1	Calculation of muck to be generated. Swell factor has to be applied	8400 Cum. As per item 1 of enclosed muck disposal plan.
2	Quantity of muck to be utilized in the project activities.	Approximate 85% i.e. 7140 Cum. As per item 2 of enclosed muck disposal plan.
3	Balance quantity of muck which requires disposal/ Management plan.	1260 cum, As per item 3 of enclosed muck disposal plan.
4	Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site.	Provision for carriage of muck to muck disposal site is being made Rs, 69,300.00 As per item 4 of enclosed muck disposal plan.
5	Ownership of land and the consent of land owners, in case muck disposal is proposed on non forest land. Photo graph & carrying capacity of proposed dumping site (Muck disposal site)	State Govt. land.(Private land not available.) Consent of Revenue Department enclosed. Muck disposal site shown in Google map with co-ordinates. Carrying capacity of proposed dumping site 1300cum. as shown in item 5 (a) of enclosed muck disposal plan.
6	Development of dumping site-construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck.	Provision for development and construction of retaining walls etc. in dumping site is Rs. 1,98,000.00 being made as per item 5(b) of enclosed muck disposal plan. . Hence total provision for muck disposal is Rs. 69,300.00 + Rs. 1,98,000.00= Rs. 2,67,300.00 will be made in detail estimate after sanction of forest land.
7	Rehabilitation of dumping site like leveling, planting of grass, shrubs and tree species	Dumping site selected in khud side of the proposed motor road which area already included in land schedule of state land. After construction of motor road plantation will be made by the Forest Department through the provisions of both side plantation fund to be deposited by this department.

Note:- Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Detail of dumping site including length, width and height of structures to be executed must be mentioned.

Enclosed - Muck disposal plan and other papers.

Undertaking

I undertaking that -

1 Muck management plan will be implemented by the user agency.
2 The proposed dumping site is located away from river/ Stream/ Nala.
3 Dumping site is not located in reserved forest.

Junior/ Engineer Provincial Division PWD Bageshwar	Assistant Engineer Provincial Division PWD Bageshwar	Executive Engineer Provincial Division PWD Bageshwar

(52)

Name of work :- Construction of Link motor road from kanda-Jaithai PMGSY Motor road to Gurna Bageshwar-Dafot motor road in District Bageshwar-Total length 4.00 KM

MUCK DISPOSAL PLAN

1 Maerial received from hill side cutting
1/3 x 4000x 3x2+1/2 = 6000.00 Cum

40 % for swell factor = 2400.00 Cum
Grand total :- = 8400.00 Cum.

2 Total material (muck) used in motor road during construction – details as given below-

S No.	ITEM	QUANTITY (Cum)
1.	R.R. Stone Masonary laid in 1:6	2293
2.	R.R. Stone Masonary laid in dry	2293
3.	Hand Packed Stone Filling	938
4.	Wire-crate Construction	469
5.	Parapet Construction	0
6.	Granular Sub-base/Base/Surface 00	1147
	Total Muck	**7140**

3 Balance material (muck) to be deposited in muck disposal site.(1-2 above) = 1260 Cum,

4. Cost of cartage of balance muck upto dumping site 1260 Cum @ Rs. 55.00/Cum. = Rs. 69,300.00

5. Location and capacity of muck dumping yard.

(a) Construction of R.R. dry wall including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of the work as per PWD detailed specification.

Location	Size of dumping yard.	Qty. (in cum)	Type of land	Capacity of dumping yard.
In KM. 1	1x 100x2x1.5	300	State land.	650 Cum.
In KM. 4	1x100x2x1.5	300	Banpanchayat.	650 Cum
	Total=	600		1300 Cum.

(b) Total cost of construction of dumping yard 600 cum @ 330.00 per cum. = Rs. 1,98,000.00

6. Total Cost of muck disposal plan (4 + 5(b) =Rs. 2,67,300.00

7. Dumping site selected in khud side of the proposed motor road. After construction of mtor road plantation will be made by the Forest Department through the provisions of both side plantation fund already deposited by this Department.

Junior Engineer PD PWD Bageshwar	Assistant Engineer PD PWD Bageshwar	Executive Engineer PD PWD Bageshwar

(53)

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर–दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

स्वामित्व /अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा–जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर–दफौट मोटर मार्ग में मिलान में उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग के कि0मी0 1 एवं 4 में सड़क के किनारे राज्य सरकार की भूमि मलवा एकत्रीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। अतः जनहित में सड़क के किनार खड्ड साईड में रिक्त भूमि पर दीवाल लगा कर मलवा एकत्रित करने में राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 27/12/14

राजस्व उप निरीक्षक
डी0 एस0 भटियानी
राजस्व उपनिरीक्षक
बागेश्वर
27/12/14

तहसीलदार
बागेश्वर
27.12.14
तहसीलदार
बागेश्वर (सदर)
जिला–बागेश्वर

परियोजना का नामः—जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा जेठाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गुरना बागेश्वर दफौट मोटर मार्ग पर मिलान।

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही होंगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखंड वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का

निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 5 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि.
बागेश्वर

ALIGNMENT REPORT OF DHAPOLI-JETHAI-GURANA MOTOR ROAD

Description of items	Alignment No.1 marked in Red color	Alignment No.2 marked in green color	Remarks
2	3	4	5
Main features of Alignments	Start from Km 10 of Dhapoli-Jathai M/r at Jathai	Start from Km 10 of Dhapoli-Jathai M/r at Jathai	
Length of road from starting to terminal point.	4.00 Km	4.00 Km	
Geometric (a) Gradient in different stretches of the alignment. (b) Curves (c) Hair pin bend numbers	1:24F, 1:50F 1:40R, 1:24F, 1:20F, As per IRC 2 No.	1:30R, 1:20F, 1:25F As per IRC 2 No.	
Terrain & Soil conditions (a) Geology of the area (b) Road length passing through- (i) Mountainous terrain (Cross slop 25% to 60%) (ii) Steep terrain (cross slope more than 60%) (iii) Stretches with indications of loose rock conditions. (iv) Areas subjected to avalanches or snowdrifts.	Hilly area consisting medium rock, H.S. & E&B 2.00 Km 2.00 Km Nil Nil	Hilly area consisting medium rock, H.S. & E&B 2.00 Km 2.00 Km Nil Nil	
Nature of soil (a) Length of reaches with Earth & Boulders. (b) Length of reaches with hard rock/ hard shale. (c) Length of reaches with Medium rock/ Med. shale. (d) Homogeneous rocks.	Nil 2.00 Km. 2.00 Km. Nil	Nil 2.00 Km. 2.00 Km. Nil	
Requirements of Bridges/ Culverts/ Scuppers:- (a) Major bridges. (b) Minor bridges. (i) Total numbers. (ii) Total waterway. (c) Scuppers (R.C.C. slab type) (i) Total numbers. (ii) Range of span. (iii) Total waterway.	Nil Nil Nil 32 No. 1.00 m	Nil Nil Nil 32 No. 1.00 m	
General elevation of road including maximum & minimum heights by mean ascents & descents. (a) Total numbers of ascents & descents. (b) Length of cliffs & gorges.	- -	- -	

Land available (a) Right of way bringing out constraints on account of built up area, monuments & other structures. (b) Approximate area & value. (i) Cultivated. (ii) Irrigated. (iii) Un- Irrigated.	- - 0.750 Km	- - 0.750 Km	
Existing means of intercommunication mule path, jeep, truck etc.	Foot Track	Foot Track	
Availability of road construction materials. (a) Location of quarry. (i) Sand. (ii) Stone. (b) Lead. (i) Sand (ii) Stone.	Local Local 30.00 Km 1.00 Km	Local Local 30.00 Km 1.00 Km	
Facility / Resources. (a)…. (b) Dropping zone (c) Food stuff. (d) Labor local availability & lead for import. (c) Construction materials, timber bamboo, sand, stone, shingle etc. availability and lead involved.	Fair Nil Nil Locally & Nepali Locally	Fair Nil Nil Locally & Nepali Locally	
A.C.C. points indicating possibility of equipment's.	Deptt. & Labours	Deptt. & Labours	
Climatic conditions. (a)Temperature maximum/ minimum. (b) Rainfall average, annual, peak intensity, monthly description to the extent possible. (c) Length of road covered by snow (average & peak) (d) Wind direction. (e) Fog conditions. (f) Exposure to sun.	Max 35^0c, Min 4^0 c 10.00 cm Avg. Nil East to West Fogy Sunny Area	Max 35^0c, Min 4^0 c 10.00 cm Avg. Nil East to West Fogy Sunny Area	
Drainage characteristic of the area indicating susceptibility of damages.	Fair	Fair	
Length of land slides.	Nil	Nil	
Length of heavy clouding.	Nil	Nil	
Length of marshy or flooded area.	Nil	Nil	
Length of portions with loose rock.	Nil	Nil	
Period required for construction.	1 Years	1 Years	
Vegetation extent type.	Mix	Mix	

Political aspects (villages falling within population) (a) 1st. KM of the alignments. (b) 2nd Km of the alignment. (c) 3rd Km of the alignment. (d) 4.5th Km of th alignment.	Jethai Quarali Gurna	Jethai Quarali Gurna	
Strategic considerations.	Fairly	Fairly	
Economical & Industrial considerations. (a) Population served by the alignment.	More than 1000	More than 900	
Recreational potential for development.	Sports, Medical & Education	Sports, Medical & Education	
Scope of agricultural & horticultural development.	Much Scope	Much Scope	
Extent of forest wealth.	3. 50 Km	3. 50 Km	
Approximate cost of each alignment.	₹ 184.00 Lacs	₹ 184.00 Lacs	
Merits/ Demerits (i) (ii) (iii) (iv)	Development Agriculture Education Transportation	Development Agriculture Education Transportation	
Any other important information v.i.s. Other important projects being undertaken in the area required for completion of the work.	Nil	Nil	

Recommendation of Executive Engineer:- .

The alignment No. 1 is recommended for construction in view of the above facts

Ad. Assistant Engineer

Assistant Engineer

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर
Executive Engineer

Approval of Superintending Engineer.

Superintending Engineer.